रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 190] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 1974/श्रावण 1, 1896

No. 190] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 1974/SRAVANA 1, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 1974

G.S.R. 327(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1957, namely:—

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Control) (Second Amendment) Order, 1974.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Control) Order, 1957, (hereinafter referred to as the said Order), in clause 2, after sub-clause (a), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(aa) "Commodity Board" means the Coffee Board constituted under section 4 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942), or the Rubber Board constituted under Section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), or the Tea Board constituted under section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), or, as the case may be the Cardamom Board constituted under Section 4 of the Cardamon Act, 1965 (42 of 1965);",

3. In the said Order, in clause 6, the following shall be added at the end, namely:—

"together with the fee for registration and a certificate from the manufacturer whom he represents or intends to represent or from the State Government or a Commodity Board indicating the source from which fertiliser will be obtained".

4. In clause 7 of the said Order—

(a) the words, figures and brackets "unless such person had been convicted for any offence under the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) or any Order made thereunder within three years preceding the date of application" shall be omitted;

(b) after the proviso the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that a certificate of registration shall not be granted to a person who—

(a) has been convicted for any offence under the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) or any Order made thereunder within three years preceding the date of application,

(b) fails to enclose with the application a certificate from the manufacturer, the State Government, or a Commodity Board as required under clause 6".

5. In sub-clause (1) of clause 9 of the said Order—

(a) for the words "together with the fee for the renewal of the registration", the words "together with the fee for the renewal of the Certificate of registration and a certificate from the manufacturer whom such holder represents or intends to represent or from the State Government or a Commodity Board indicating the source from which fertiliser will be obtained" shall be substituted;

(b) for the words "together with such fee"; the words "together with such fee and certificate" shall be substituted;

(c) the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that a certificate of registration shall not be renewed if such holder fails to enclose with the application a certificate from the manufacturer whom he represents or intends to represent or from the State Government or a Commodity Board indicating the source from which fertiliser will be obtained".

6. In Form 'A' of the said Order,—

(i) for item 3, the following items shall be substituted, namely:—

"3. The names of fertilisers, the names of the manufacturers whom he represents or intends to represent or the State Government on Commodity Board from which fertiliser will be obtained

(a)	(b)
Name of Fertiliser	Name of Manufacturer or State Government or Commodity Board"

(ii) Items 9, 10 and 11 shall be renumbered as items 10, 11 and 12 respectively and before item 10 as so renumbered, the following item shall be inserted, namely:—

"9. I/We enclose a certificate from the manufacturer whom I/We represent or whom I/We intend to represent or from the State Government or Commodity Board from which fertiliser will be obtained".

7. In Form 'C' of the said Order, after item 3 and before the words, brackets and letter "Signature of applicant(s)", the following item shall be inserted, namely:—

"4. I/We enclose a certificate from the manufacturer whom I/We represent or whom I/We intend to represent or from the State Government or Commodity Board from which fertiliser will be obtained".

[No. 10-4/74-MPR-STU.]

KUMARI ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1974

सा० का० नि० 327 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम उर्वरक (नियन्त्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1974 है ।

(2) यह राजपत्र के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खण्ड 2 के उपखण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कक)' वाणिज्य बोर्ड से अभिप्रेत है यथास्थिति काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के अधीन गठित काफी बोर्ड, या रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित रबड़ बोर्ड या चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के अधीन गठित चाय बोर्ड या इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 4 के अधीन गठित इलायची बोर्ड ।

3. उक्त आदेश के खण्ड 6 में, 'प्राधिकारी को' और प्ररूप 'क' के बीच में, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क सहित और विनिर्माता, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है या जिसका प्रतिनिधित्व करने का वह आशय रखता है या राज्य सरकार का या वाणिज्य बोर्ड का, वह स्रोत जहां से उर्वरक प्राप्त किया जाएगा उपदर्शित करने वाले एक प्रमाणपत्र सहित ।"

4. उक्त आदेश के खण्ड 7 में —

(क) 'जब तक कि ऐसा व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अधीन, किसी अपराध के लिए, आवेदन की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के भीतर सिद्धदोष न किया गया हो' शब्दों, अकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

(ख) परन्तु के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति को अनुदत्त नहीं किया जाएगा जो—

(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन आवेदन की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के भीतर सिद्धदोष किया गया है :

(ख) आवेदन के साथ खण्ड 6 के अधीन यथा अपेक्षित विनिर्माता, राज्य सरकार या वाणिज्य बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न करने में असफल रहता है ।'

5. उक्त आदेश के खण्ड 9 के उपखण्ड (1) में —

(क) 'रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के शुल्क सहित', शब्दों के स्थान पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के नवीकरण के शुल्क सहित उस विनिर्माता जिसका आशय ऐसा धारक प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधित्व करने का आशय रखता है या राज्य सरकार का या वाणिज्य बोर्ड का, वह स्रोत उपदर्शित करने वाला जहां से उर्वरक अभिप्राप्त किया जाएगा, प्रमाण पत्र शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(ख) 'ऐसे शुल्क सहित' शब्दों के स्थान पर 'ऐसे शुल्क और प्रमाण पत्र सहित' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(ग) निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

'परन्तु रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र नवीकृत नहीं किया जाएगा यदि धारक विनिर्माता का जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधित्व करने का आशय रखता है या राज्य सरकार का या वाणिज्य बोर्ड का, वह स्रोत उपदर्शित करने वाला जहां से उर्वरक प्राप्त किया जाएगा, प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करने में असफल रहता है ।'

6. उक्त आदेश के प्ररूप क में —

(i) मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"3—उर्वरकों के नाम, विनिर्माताओं के जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधित्व करने का आशय रखता है या राज्य सरकार या वाणिज्य बोर्ड का जहां से कि उर्वरक प्राप्त किया जाएगा, के नाम ।

(क)	(ख)
उर्वरक का नाम	विनिर्माता या राज्य सरकार या वाणिज्य बोर्ड का नाम

(ii) मद 9, 10 और 11 क्रमशः मद 10, 11 और 12 के रूप में पुनर्संख्यांकित की जाएंगी और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित मद 10 के पूर्व निम्नलिखित मद अन्तः—स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'9—मैं / हम उस विनिर्माता का जिसका मैं /हम प्रतिनिधित्व करता हूं / करते हैं या जिसका मैं / हम प्रतिनिधित्व करने का आशय रखता हूं / रखते हैं या राज्य सरकार का या वाणिज्य बोर्ड का जहां से कि उर्वरक प्राप्त किया जाएगा, प्रमाण पत्र संलग्न करता हूं /करते हैं ।"

7. उक्त आदेश के प्ररूप ग के मद 3 के पश्चात् "आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के पूर्व निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'4 मैं / हम उस विनिर्माता जिसका मैं /हम प्रतिनिधित्व करता हूं / करते हैं या जिसका मैं/ हम प्रतिनिधित्व करने का आशय रखता हूं / रखते हैं या राज्य सरकार का या वाणिज्य बोर्ड का जहां से उर्वरक प्राप्त किया जाएगा, प्रमाण पत्र संलग्न करता हूं / करते हैं ।'

[सं० 10—4/74—एम पी आर—एम टी यू]

कुमारी अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974